

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 265 /2024

दिनांकित: अक्टूबर 24, 2024.

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 14218/एडमिन(E-1)/ XC-27/दिनांकित इलाहाबाद 23.10.2024 में निर्देशित किया गया है कि-

"Hon'ble the Court has been pleased to declare holiday on October 31, 2024 (Thursday) on account of Deepawali in the District Judiciary of Allahabad High Court and in lieu thereof 4th Saturday falling on 23 November, 2024 is opened for judicial work"

अतएव, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त वर्णित पत्रांक 14218/एडमिन(E-1)/ XC-27/दिनांकित इलाहाबाद 23.10.2024 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक 31.10.2024 को दीपावली के अवसर पर न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर में अवकाश घोषित किया जाता है, उक्त तिथि को न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त वर्णित पत्रांक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक 31.10.2024 को घोषित अवकाश के एवज में, माह नवम्बर के चतुर्थ शनिवार दिनांक 23.11.2024 को न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर के समस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्यों का संचालन किया जायेगा।

चूकि प्रशासनिक आदेश संख्या 07/2024 दिनांकित 06.01.2024 के माध्यम से दिनांक 31.10.2024 को न्यायिक अधिष्ठान, संत कबीर नगर में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

अतएव, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रचारित अवकाश कैलेण्डर-2024 की टिप्पणी प्रस्तर-3 में अंकित निर्देशों के अनुपालन में, न्यायिक अधिष्ठान, संत कबीर नगर में दिनांक 31.10.2024 को घोषित स्थानीय अवकाश के एवज में दिनांक 30.10.2024 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 30.10.2024 को न्यायिक अधिष्ठान, सन्त कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगे।

सम्बंधित सूचित हों।

(अनिल कुमार वर्मा-1)
जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर।

पत्रांक:- 1633 / 1 -(11)/सं०क०न०/दिनांकित:- अक्टूबर 24, 2024.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सन्त कबीर नगर।
3. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, संत कबीर नगर।
4. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
5. पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर।
6. समस्त न्यायालय, न्यायिक अधिष्ठान, संत कबीर नगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर।
8. अधीक्षक, जिला कारागार, संत कबीर नगर।
9. अध्यक्ष, जनपद बार एसोसिएशन, संत कबीर नगर।
10. अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन, संत कबीर नगर।
11. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
12. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश की सूचना निःशुल्क प्रकाशित कराये।
13. केन्द्रीय नाजिर को इस निर्देश के साथ कि न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।


जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर।